kr. 960
12/9/19

प्ररूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122201867334 **संदर्भ क्रमांक: 1672403624**

यह प्रमाणित किया जाता है **छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन** सोसायटी जो **भवन स्वामी श्री बूझन दास कबीर काम्प्लेक्स सोनतराई NH 43 पोस्ट देवगढ़ तहसील सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) पिन कोड 497111** तहसील **Sitapur** जिला **Surguja** में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख **09/07/2018** को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

उप पंजीयक संस्थाएँ छत्तीसगढ़

डी. डी. महन्त
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration

रू 300 चालान क्र. 157 दि. 10/9/19
द्वारा किया गया है पंजीयन क्र. 122201867334
दिनांक 9/7/18 द्वारा पंजीकृत संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी
होने का दिनांक 12/9/19

(आर.ओर. राजभान)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़
12/9/19

प्ररूप-एक

(नियम 3 देखिये)

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

---

1. सोसायटी का नाम : छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय : भवन स्वामी श्री बूझन दास कबीर काम्प्लेक्स सोनतराई NH 43
पोस्ट देवगढ़ तहसील सीतापुर
जिला सरगुजा (छ. ग.) पिन कोड 497111

3 . सोसायटी के उद् देश्य निम्नलिखित होगें :

1. कबीर के बताये मार्ग पर चलकर समाज में व्याप्त आडम्बर को दूर करना।
2. आयुर्वेदिक/योग चिकित्सा पद्धति को प्रोतसाहित करना एंम चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण केंद्र खोलना
3. शासन की योजनाओं का लाभ देने हेतु विकास खंड सत्तर पर मार्गदर्शन केंद्र खोलना तथा रोजगार मार्गदर्शन को प्रदान करना ।
4. असंगठित मजदूरों को शासन से मिलने वाले लाभ उनतक पहुचाने में मदद करना ।
5. समाज के बेरोजगार युवक युवतियों का कौशल विकास कर विभिन्न प्रकार के रोजगार/व्यवसाय प्रारम्भ करने में मदद करना।
6. समाज के अनाथ बच्चों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उसकी निगरानी करना।
7. महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार देने हेतु उन्हें बराबरी का भागीदारी देना।
8. विकासखण्ड स्तर पर युवक युवतियों का परिचय सम्मलेन के माध्यम से एक दूसरे से परिचित कराना तथा विवाह के लिए जोडे तैयार करना।
9. बाल विवाह को रोकने हेतु तथा सफल दांपत्य जीवन के लिए विवाह का विकासखंड स्तर पर सामाजिक पंजीयन कराना।
10. काम खर्चीली शादी हेतु कबीर आश्रम/ कबीर चौरा में सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
11. कबीर के पंथ का प्रचार प्रसार करना ।
12. समाज के कृषकों को उन्नत कृषि हेतु प्रोत्साहित करना तथा शासन से मिलने वाली मदद को उन तक पहुँचाना।
13. जैविक/आर्गनिक कृषि हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना एवं उसकी जानकारी कृषकों तक पहुँचाना तथा लाभ दिलाना धरतीमाता को बंजर होने से रोकना
14. पशुपालन व्यवसाय से जोड़ कर समाज के कृषकों को लाभ पहुँचाना।
15. समाज के कर्मचारी,व्यवसायी, अधिकारी एवं संपन्न वर्ग को समाज के एक गरीब परिवार को गोद ले कर उसे उन्नत करने की योजना चलाना।
16. समाज के लोगों को शोषण से मुक्त करने हेतु जागरूक करना।
17. प्रत्येक ग्राम,विकासखंड,जिला,संभाग तथा प्रदेश स्तर पर अत्यन्त जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकना।

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

18. संभाग/जिला स्तर पर कबीर अनाथालय / वृधाश्रम आश्रम की व्यवस्था करना।

19. समाज के संपन्न वर्ग से अनाथालय/वृधाश्रम हेतु सहायता प्राप्त करना।

20. दशकर्म को कम खर्चीली करने हेतु स्थानीय स्तर पर छोटे कार्यक्रम आयोजित करना।

21. भारत के संविधान में आस्था रखना ।

22. नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर नवयुवकों को नशा मुक्त करना।

23. समाज के प्रबुद्ध वर्ग ,कर्मचारी,अधिकारी एवं व्यवसायी वर्ग को समाज के गतिविधि से जोड़ना तथा समाज में उनकी सहभागिता प्राप्त करना।

24. दूरस्त अंचल में निवासरत समाज के लोगों की कनेक्टिविटी एडवांस लोगों से करना/बढ़ाना।

25. अस्वच्छ धंधा में लगे लोगों को स्वच्छ धंधे के लिए प्रेरित करना।

26. सामाजिक रीति से सामाजिक विवादों का निपटारा करना एवं उनके हितों की रक्षा करना।

27. समाज के लोगों को शिक्षित करना इस हेतु विद्यालय खोलना कोचिंग केंद्र खोलना तथा साक्षरता कार्यक्रम चलाना ।

28. मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण संघर्ष करना।

29. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस हेतु सत् प्रतिशत समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना ।

30. समाज में सत् प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य रखकर पूर्ण करना एम कंप्यूटर केंद्र/प्रशिक्षण केंद्र खोलना.

31. कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था समिति द्वारा करना।

32. समाज में अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस हेतु विभिन्न प्रकार के चिकित्सा कैंद्र/नर्सिंग होम / क्लिनिक/नर्सिंग प्रशिक्षण / पैरामेडिकल कैंद्र खोलना ।

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

4 . सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी -निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :

क्र.	नाम	पति / पिता का नाम	पता	उपजीविका
1	परशुराम दास महंत	विद्यादास	म; नं; 87 महंतपारा ग्राम सोनतराई पो देवगढ जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
2	कँवल दास	मथुरा	म; नं; 61/1 ग्राम सूर पोस्ट सूर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
3	विनय कुमार महंत	लक्ष्मी प्रसाद महंत	जोबाटिकरा रोड आदर्शनगर सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
4	शिवशरण दास महंत	पंचदास	चम्पकपारा सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

5	धरमदास	सोबरन दास	म;नं; 91/1 डापपारा भिठुवा पो; प्रतापगढ जिला सरगुजा (छ. ज.) 497114 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
6	श्रवण दास	साधुचरण दास	म;नं; 55/1 संतकबीरपारा सूर सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
7	पुरुषोत्तम दास टांडिया	मनमोहन दास टांडिया	126/1 NH 43 सूर पो; सूर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
8	यदुनंदन दास टांडिया	सुरजन दास टांडिया	ग्राम कुनकुरी मंदिरपारा पोस्ट प्रतापगढ मैनपाट जिला सरगुजा (छ. ग.) 497114 ,Mainpat ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
9	सबल दास	बनाफर दास	सोनीपारा ग्राम बन्दना पो कोट तहसील मैनपाट जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Mainpat ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
10	राजेन्‍द्र प्रसाद महंत	अम्बिका	120/1 बखरीपारा सूर पो सूर तह सीतापुर ि जिला सरगुजा छ;ग; 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
11	बुझन दास	हलखोरी दास	म;नं; 91/1 महंतपारा सोनतराई पो देवगढ तह सीतापुर ि जिला सरगुजा छ;ग; ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कृषि
12	नारायण दास महंत	अनुक दास महंत	वार्ड नंबर ३ कापू जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ ४९६११८ ,Udaipur (Dharamjaigarh) ,Raigarh ,Chhattisgarh	टेलरिंग
13	अमरेन्द्र कुमार सोनवानी	भारत दस सोनवानी	वार्ड नंबर ४ बागबहरा कलां थानापारा (वीरान) महासमुन्द ,Bagbahra ,Mahasamund ,Chhattisgarh	व्यापार
14	राजेश दास	रामदास	४/जी स्टेट ३६ जोन २ सेक्टर ११ खुर्सीपार भिलाई ,Durg ,Durg ,Chhattisgarh	व्यापार

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

5 .छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी विनयम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

क्र.	नाम	पति / पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	परशुराम दास महंत	विद्यादास	म; नं; 87 महंतपारा ग्राम सोनतराई पो देवगढ जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	
2	कँवल दास	मथुरा	म; नं; 61/1 ग्राम सूर पोस्ट सूर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	कँवल दास
3	विनय कुमार महंत	लक्ष्मी प्रसाद महंत	जोबाटिकरा रोड आदर्शनगर सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	
4	शिवशरण दास महंत	पंचदास	चम्पकपाड़ सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	शिव शरण दास
5	धरमदास	सोबरन दास	ग्रा.नं; [illegible] आमपारा भिठुवा पो; [illegible] जिला सरगुजा (छ. ज.) 497114 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	धरमदास
6	श्रवण दास	साधुचरण दास	म;नं; 55/1 संतकबीरपारा सूर सीतापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	
7	पुरुषोत्तम दास टांडिया	मनमोहन दास टांडिया	126/1 NH 43 सूर पो; सूर जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	
8	यदुनंदन दास टांडिया	सुरजन दास टांडिया	ग्राम कुनकुरी मंदिरपारा पोस्ट प्रतापगढ मैनपाट जिला सरगुजा (छ. ग.) 497114 ,Mainpat ,Surguja ,Chhattisgarh	
9	सबल दास	बनाफर दास	सोनीपारा ग्राम बन्दना पो कोट तहसील मैनपाट जिला सरगुजा (छ. ग.) 497111 ,Mainpat ,Surguja ,Chhattisgarh	
10	राजेन् द्र प्रसाद महंत	अम्बिका	120/1 बखरीपारा सूर पो सूर तह सीतापुर ि जिला सरगुजा छ;ग; 497111 ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

11	बुझन दास	हलखोरी दास	म;नं; 91/1 महंतपारा सोनतराई पो देवगढ तह सीतापुर छि जिला सरगुजा छ.ग. ,Sitapur ,Surguja ,Chhattisgarh	बुझनदास
12	नारायण दास महंत	अनुक दास महंत	वार्ड नंबर ३ कापू जिला रायगढ छत्तीसगढ ४९६११८ ,Udaipur (Dharamjaigarh) ,Raigarh ,Chhattisgarh	
13	अमरेन्द्र कुमार सोनवानी	भारत दस सोनवानी	वार्ड नंबर ४ बागबहरा कलां थानापारा (वीरान) महासमुन्द ,Bagbahra ,Mahasamund ,Chhattisgarh	अ सोनवानी
14	राजेश दास	रामदास	४/जी स्टेट ३६ जोन २ सेक्टर ११ खुर्सीपार भिलाई ,Durg ,Durg ,Chhattisgarh	राजेश दास

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

तारीख: 25-06-2018 / 08.07.2018

प्रति,

सोसायटी के रजिस्ट्रार

....

....

साक्षी

हस्ताक्षर ....

नाम: जागृत दास

पूर्ण पता: ग्राम सोनतराई पो देवगढ तह सीतापुर छि जिला सरगुजा छ.ग. पि पिन497111

300 चालान क्र. 157 दि. 10/9/19 जमा किया गया है। पंजीयन क्र. 122201867334 दिनांक 9/7/18 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी होने का दिनांक 12/9/19

(आर.ओर. राजभानू)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

12/9/19

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-CG08749177097268Q**
Certificate Issued Date	:	10-Sep-2019 11:59 AM
Account Reference	:	CSCACC (GY)/ cgcsceg07/ CG-RPLAXO594/ CG-RP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGCSCEG0710590115373107Q
Purchased by	:	RAHUL SHARMA
Description of Document	:	Aricle 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	CG MUL NIVASI PANIKA SAMAJ VIKAS KRANTI SANGATHAN
Second Party	:	REGISTER FIRM AND SOCIETY
Stamp Duty Paid By	:	GODREJ AND BOYCE MEG CO LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

COMMON SERVICES INDIA LIMITED 171526470018 CSC e-GOVERNANCE

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

Please write or type below this line

छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन
प० क्र 122201867 334 ज्ञापन के साथ संलग्न।
9/3/18

(आर.आर. सजीमान)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़
9/3/18

SR 0005389469

Statutory Alert:

" समिति के पंजीयन हेतु नियमावली"

1. संस्था नाम :– छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन
2. संस्था कार्यालय का पता :– भवन स्वामी का नाम श्री बूझन दास,
कबीर काम्पलेक्स सोनतराई एन.एच. 43, पोस्ट–देवगढ़ तहसील–सीतापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) पिनकोड 497111
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
4. संस्था का उद्वेश्य :– (ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

1. कबीर के बताये मार्ग पर चलकर समाज में व्याप्त आडम्बर को दूर करना।
2. आयुर्वेदिक/योग चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना एवं चिकित्सा केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।
3. शासन की योजनाओं का लाभ देने हेतु विकास खण्ड स्तर पर मार्गदर्शन केन्द्र खोलना तथा रोजगार मार्ग दर्शन भी प्रदान करना।
4. असंगठित मजदूरों को शासन से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचाने में मदद करना।
5. समाज के बेरोजगार युवक युवतियों का कौशल विकास कर विभिन्न प्रकार के रोजगार/व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद करना।
6. समाज के अनाथ बच्चों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उसकी निगरानी करना।
7. महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार देने हेतु उन्हें बराबरी का भागीदारी देना।
8. विकास खण्ड स्तर पर युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन के माध्यम से एक दुसरे से परिचित कराना तथा विवाह के लिए जोड़े तैयार कराना।
9. बाल विवाह को रोकने हेतु तथा सफल दाम्पत्य जीवन के लिए विवाह का विकास खण्ड स्तर पर सामाजिक पंजीयन कराना।
10. कम खर्चीली शादी हेतु कबीर आश्रम/कबीर चौरा में सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
11. कबीर के पंथ का प्रचार प्रसार करना।
12. समाज के कृषकों को उन्नत कृषि हेतु प्रोत्साहित करना तथा शासन से मिलने वाली मदद को उन तक पहुंचाना।

13. जैविक/आर्गनिक कृषि हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना एवं उसकी जानकारी कृषकों तक पहुंचाना तथा लाभ दिलाना। धरती माता को बंजर होने से रोकना।

14. पशुपालन व्यवसाय से जोड़कर समाज के कृषकों को लाभ पहुंचाना।

15. समाज के कर्मचारी, व्यवसायी, अधिकारी एवं सम्पन्न वर्ग को समाज के एक गरीब परिवार को गोद लेकर उसे उन्नत करने की योजना चलाना।

16. समाज के लोगों को शोषण से मुक्त करने हेतु जागरूक करना।

17. प्रत्येक ग्राम, विकास खण्ड, जिला, संभाग तथा प्रदेश स्तर पर अत्यन्त जरूरत मंद लोगों की मदद करना।

18 संभाग/जिला स्तर पर एक कबीर अनाथालय/वृद्धा आश्रम की स्थापना करना।

19. समाज के सम्पन्न वर्ग से अनाथालय/वृद्धा आश्रम हेतु सहायता प्राप्त करना।

20. दशकर्म को कम खर्चीली करने हेतु स्थानीय स्तर पर छोटे कार्यक्रम आयोजित करना।

21. भारत के संविधान में आस्था रखना।

22. नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर युवकों को नशा मुक्त करना।

23. समाज के प्रबुद्ध वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, एवं व्यवसायी वर्ग को सामाजिक गतिविधि से जोड़ना तथा समाज में उनकी सहभागिता प्राप्त करना।

24. दुरस्थ अंचल में निवासरत समाज के लोगों की कनेक्टीविटी एडवांस लोगों से करना/बढ़ाना।

25 अस्वच्छ धंधा में लगे लोगों को स्वच्छ धंधे के लिए प्रेरित करना।

26 सामाजिक रीति से सामाजिक विवादों का निपटारा करना एवं उनके हितों की रक्षा करना।

27 समाज के लोगों को शिक्षित करना इस हेतु विद्यालय खोलना, कोचिंग केन्द्र खोलना तथा साक्षरता कार्यक्रम चलाना।

28. मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु शांति पूर्ण संघर्ष करना।

29. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना इस हेतु शत् प्रतिशत समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।

30. समाज में शत प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य रखकर पूर्ण करना एवं कम्प्यूटर

केन्द्र / प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

31. कमजोर वर्गो के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था समिति के द्वारा करना।

32. समाज में अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस हेतु विभिन्न प्रकार के चिकित्सा केन्द्र / नर्सिंगहोम / क्लीनिक / नर्सिंग प्रशिक्षण / पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

5. **सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–**

(अ) **संरक्षण सदस्य :–** संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रूपये 10000 / – एक मुस्त जमा किया जायेगा, वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य :–** जिस व्यक्ति द्वारा संस्था को अभिदान के रूप में रूपये 1000 / – जमा किया जावेगा, वह आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य अंतर की राशि 9000 / – देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य :–** जिस व्यक्ति द्वारा रूपये 100 / – प्रतिवर्ष की अभिदान के रूप में जमा किया जावेगा, वह साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने अभिदान दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक अभिदान नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा अभिदान की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य :– संस्था की प्रबंधकारीणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बन सकती है, एसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. भारतीय नागरिक हो ।
2. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
3. समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

पनिका समाज का ही व्यक्ति सदस्य बन सकेगा ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल हो जाने पर।
3. नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो और
5. नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्कासित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यता पंजी :- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय ।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व अभिदान जमा करने का रसीद नंबर ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो ।
4. सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम में 5 (अ) (ब) (स) दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह......अप्रैल........तथा बैठक का स्थान व

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार

समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी

(स) विशेष :- समिति के कुल सदस्यों की संखया के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी भी विषय पर विचार करने के लिए संस्था के विशेष बैठक बुलाने हेतु, अध्यक्ष/सचिव को सदस्यों द्वारा अनुरोध पत्र दिया जावेगा, ऐसे आवेदन पत्र उल्लेखित विषय पर आमसभा आयोजित किया जाकर संकल्प पारित किया जावेगा। विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना ।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारीयों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष, 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य - 09

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार से नहीं हो जाता 'वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संप्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय/विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव को साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन हेतु निर्देश जारी करेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

2. समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

4 . सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5000/-.....रु- व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष का अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैंक खाता :- प्रत्येक समिति द्वारा पंजीकृत संस्था के नाम से ही खाता संधारित किया जावेगा।

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ....5000..../- रहेंगे ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनिमय की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित कार्यकारिणी समिति की मूल हस्ताक्षरित सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का आडिटेड लेखा नियत शुल्क के साथ पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा।

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत प्रारूप में शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्दश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. सम्पति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों पर संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

रु. 300 चालान क्र. 157 दि. 10/9/19
द्वारा किया गया ... पंजीयन क्र. 122201867334
दिनांक 9/7/18 द्वारा पंजीकृत संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी
होने का दिनांक 12/9/19

(आर.ओ. राजभानू)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

क्रमशः :-

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-CG12466307387286R**
Certificate Issued Date	:	10-Sep-2019 11:53 AM
Account Reference	:	CSCACC (GV)/ cgcsceg07/ CG-RPLAX0594/ CG-RP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGCSCEG0716248098571068R
Purchased by	:	CG MUL NIVASI PANIKA SAMAJ VIKAS KRANTI SANGATHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	CG MUL NIVASI PANIKA SAMAJ VIKAS KRANTI SANGATHAN
Second Party	:	REGISTER FIRM AND SOCIETY
Stamp Duty Paid By	:	CG MUL NIVASI PANIKA SAMAJ VIKAS KRANTI SANGATHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED 171326470018

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

Please write or type below this line

छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन पं० क्र० 122201867334 नियमावली के साथ सलग्न।

3/7/18

(आर. आर. राजभार)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

SR 0005389471

Statutory Alert:

पं.क्र. 122201867334

छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज

" विकास क्रान्ति संगठन "

प्रदेश कार्यालय : भवन स्वामी श्री बूझनदास, कबीर कॉम्पलेक्स, सोनतराई
NH-43, पोस्ट – देवगढ़, तह.– सीतापुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.) 497111

अध्यक्ष :
परशुराम दास
Mob.: 8878821101, 9630239542
E-mail : dasparshu24@gmail.com

सचिव :
पी. डी. टांडिया
Mob.: 9977234751, 9424261380
E-mail : pdtandia@gmail.com

क्रमांक :

सोनतराई, सीतापुर, दिनांक 21.07.2018

संगठन की कार्यकारिणी की सूची

1 अध्यक्ष - श्री परशुराम दास सोनतराई सरगुजा (छ०ग०)
2. उपाध्यक्ष - श्री अमरेन्द्र सोनवानी बागबहरा महासमुन्द (छ०ग०)
3. सचिव - श्री पुरूषोत्तम दास टाँडिया सूर सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
4. कोषाध्यक्ष - श्री नीलमणी महन्त सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
5. संयुक्त सचिव श्रीमती शकुन्तला महन्त दरिमा सरगुजा (छ०ग०)
6 सदस्य श्री विनय कुमार महन्त सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
7 —"— श्री श्रवण दास महन्त सूर सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
8 —"— श्री बूझन दास महन्त सोनतराई सरगुजा (छ०ग०)
9 —"— श्री गजेश दास भिलाई दुर्ग (छ०ग०)
10 —"— श्री शिव शरण दास सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
11 —"— श्री गजेन्द्र प्रसाद महन्त सूर सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
12 —"— श्री यदुनन्दन दास टाँडिया कुनकुरी मैनपाठ सरगुजा (छ०ग०)
13 —"— श्रीमती बसंती देवी सूर सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)
14 —"— श्रीमती अनुराधा महंत सीतापुर सरगुजा (छ०ग०)

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज
विकास क्रांति संगठन (छ.ग.)